



HAPUR POLICE



OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में 02 अभियुक्तों को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 13-13 हजार रु0 (कुल 26,000/- रुपये) के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया ।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 20.03.2025 को मा0 न्यायालय द्वारा नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में 02 अभियुक्तों को दंडित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 24.08.2017 को अभियुक्तगण 1. आतिफ पुत्र मूसा व 2. रिहान पुत्र रियाजुद्दीन निवासीगण कोटला मेवातियान थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ द्वारा मुकदमा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़ करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना हापुड़ देहात पर मु0अ0सं0 994/2017 धारा 354क, 354घ, 504 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 16.09.2017 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया ।
- आज दिनांक 20.03.2025 को अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय एडीजे स्पेशल पॉक्सो प्रथम हापुड़ द्वारा 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 13-13 हजार रुपये (कुल 26,000/- रुपये) के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई ।
- अभियोजन विभाग से श्री हरेन्द्र त्यागी (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक पुलिस उपाधीक्षक श्री पवन कुमार एवं पैरोकार का0 दीपक कुमार व कोर्ट मोहरीर है0का0 बिट्टू कुमार का विशेष योगदान रहा ।

